

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
अधिसूचना

क्र. 50/अ-82/2014-15

दिनांक 26/5/2016

चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की एन.टी.पी.सी तलाईपाली कोल माईस परियोजना के रेल मार्ग हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

भूमि का वर्णन -

अनुसूची

1. जिला रायगढ़
2. तहसील रायगढ़
3. ग्राम/नगर भिखारीमाल
4. भूमि का क्षेत्रफल 8.657 हे०

| खसरा नंबर                          | रकबा (हेक्टेयर में) | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर में) | खसरा नंबर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 50/1                               | 0.081               | 121/1     | 0.522               | 127       | 0.053               |
| 57                                 | 0.081               | 121/2     | 0.223               | 128       | 0.101               |
| 65/1                               | 0.839               | 122/4     | 0.049               | 129       | 0.182               |
| 65/2                               | 0.242               | 125/1     | 0.243               | 151/2     | 0.202               |
| 66                                 | 0.176               | 125/2     | 0.283               | 151/4     | 0.101               |
| 67                                 | 1.947               | 125/3     | 0.129               | 151/3     | 0.202               |
| 70/4                               | 0.101               | 125/4     | 0.112               | 70/59     | 0.243               |
| 70/12                              | 0.081               | 125/5     | 0.016               | 70/33     | 0.020               |
| 70/19                              | 0.158               | 126       | 0.235               | 131/1     | 0.307               |
| 70/26                              | 0.089               | 70/49ख    | 0.599               | 70/68क    | 0.202               |
| 70/27                              | 0.128               | 70/49ग    | 0.275               | 70/68ख    | 0.056               |
| 70/31                              | 0.101               | 70/61     | 0.202               |           |                     |
| 70/40                              | 0.056               | 70/62     | 0.008               |           |                     |
| 70/41                              | 0.012               |           |                     |           |                     |
| योग कुल खसरा नं. 38 रकबा 8.657 हे० |                     |           |                     |           |                     |

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
  3. उक्त योजना के लिए अनुमोदित पुनर्वास योजना के अनुसार प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित 01 व्यक्ति का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित है। पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम कंचनपुर तहसील घरघोडा जिला रायगढ़ की भूमि ख.न. 704/2 रकबा 0.040 हेक्टेयर का चयन किया गया है। प्रभावित मकान के बदले शासन द्वारा स्वीकृत एनटीपीसी रेलवे लाईन के पुनर्वास एवं पुनःस्थापन नीति अनुक्रमांक 9.3 के तहत मकान के बदले एकमुष्ट राशि का भी प्रावधान है।
- पुनर्वास योजना का अवलोकन प्रशासक / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(अलेक्जेंडरमंगई डी)  
कलेक्टर

जिला - रायगढ़  
एवं पदेन संयुक्त सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग